पत्र सं०–6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

केशवेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

विषय– **बिहार के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" अन्तर्गत रिवर रैंचिंग कार्यक्रम (River Ranching Program) हेतु शत् प्रतिशत केन्द्रांश पर ₹ 60.75 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 हेतु कुल ₹ 121.50 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत रिवर रैंचिंग कार्यक्रम (River Ranching Program) हेतु शत् प्रतिशत केन्द्रांश पर ₹ 60.75 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 हेतु कुल ₹ 121.50 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार) की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा केन्द्र सरकार के द्वारा प्रथम चरण में केन्द्रांश की राशि ₹ 60.75 लाख रूपये (साठ लाख पचहत्तर हजार) मात्र विमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष की अंत में राशि प्राप्त होने के कारण योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 में नहीं की जा सकी। मत्स्य निदेशालय का पत्रांक 379 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद को सूचना दी गई है। सम्यक विचारोपरांत उक्त योजना को वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. इस योजना के कार्यान्वियन से राज्य के चिन्हित नदियों से "मत्स्य प्रजनक" का संग्रहण कर इसे तालाबों में संचय किया जाएगा। प्रजनन ऋतु में संचित ब्रूडरों का आधूनिक तकनीक एवं मानक प्रोटोकॉल के द्वारा कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया जाएगा। तत्पश्चात् कृत्रिम प्रजनन से उत्पन्न स्पॉन को फ्राई एवं फ्राई को मत्स्य अंगुलिका (Fingerling) में विकसित किया जाएगा। मत्स्य अंगुलिकाओं (Fingerlings) को संबंधित नदियों में रिवर रैंचिंग (River Ranching) के तहत संचयन किया जाएगा। मत्स्य निदेशालय द्वारा भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 हेतु कुल 40.50 लाख अंगुलिकाओं (20.25 लाख अंगुलिका / वर्ष) के रिवर रैंचिंग कार्यक्रम द्वारा संचयन का प्रस्ताव दिया गया, जिसकी स्वीकृति पत्रांक NFDB/PMMSY/

RR/Bihar/2020-21/1173 दिनांक 26.03.2021 द्वारा प्राप्त है। इस कार्यक्रम का विस्तार तीन नदियों यथा **गंगा, बुढ़ी गंडक तथा गंडक** में किया जाना है। यह कार्यक्रम राज्य के चार जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं सारण में किया जाएगा।

2. **योजना का क्रियान्वयन** :– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत रिवर रैंचिंग कार्यक्रम (River Ranching Program) के सफल क्रियान्वयन हेतु मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढ़ोली को Implementing Agency के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के लिए कॉलेज ऑफ फिशरिज, ढ़ोली द्वारा Dedicated Hatchery का प्रयोग किया जाएगा एवं स्थापित मानक के तहत बीज का उत्पादन कर उक्त कार्यक्रम के तहत संचयन किया जाएगा।

3. उद्देश्य :–

i) राज्य के चिन्हित नदियों से मत्स्य प्राजनकों का संग्रहण कर संचित ब्रूडरों का आधूनिक तकनीक द्वारा कृत्रिम रूप से प्रजनन।

ii) कृत्रिम प्रजनन से उत्पन्न स्पॉन को फ्राई एवं फ्राई को मत्स्य अंगुलिका (Fingerling) में विकसित करना।

iii) मत्स्य अंगुलिकाओं (Fingerlings) को संबंधित नदियों में रिवर रैंचिंग (River Ranching) के तहत संचयन।

iv) राज्य के चिन्हित नदियों में स्थानीय मछलियों की प्रजातियों के जननद्रव्य (Germ Plasm) का पुनर्स्थापन।

4. फंडिंग पैटर्न (Funding Pattern) :–

i) **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)** के तहत 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।

ii) उक्त योजना अंतर्गत शत् प्रतिशत केन्द्रांश पर ₹ 60.75 लाख रूपये (साठ लाख पचहत्तर हजार) प्रति वर्ष की दर से वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23. हेतु कुल ₹ 121.50 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार) की लागत स्वीकृत है।

5. **<u>योजना क्रियान्वयन के मुख्य विन्दु :</u>**

i) इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के तीन प्रमुख नदियों यथा गंगा, बुढ़ी गंडक तथा गंडक में किया जाना है। यह कार्यक्रम राज्य के चार जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं सारण में किया जाएगा।

ii) योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में किया जाएगा।

iii) प्रस्तावित नदियों से ब्रूड संग्रहण कर अलग–अलग संचयित किया जाएगा।

iv) प्रत्येक नदी से एक प्रजाति के मछलियों का प्रजनन हेतु चयन किया जाएगा।

v) विभिन्न नदियों का बीज अलग–अलग संवर्धित किया जाएगा।

vi) अंगुलिकाओं का संचयन समिति के द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर किया जाएगा जिसमें निदेशालय स्तर के वरीय पदाधिकारी, एन0एफ0डी0बी0 के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे तथा इसकी विडियोग्राफी भी करायी जाएगी।

vii) इस कार्यक्रम के तहत एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60.75 लाख (साठ लाख पचहत्तर हजार) केन्द्रांश राशि मत्स्य निदेशालय के खाते (खाता सं0

30218057265) में उपलब्ध करा दी गई है। जिसे चेक/ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से कॉलेज ऑफ फिशरिज, ढोली को उपलब्ध करायी जाएगी तथा कॉलेज ऑफ फिशरिज, ढ़ोली द्वारा व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को ससमय समर्पित किया जाएगा।

viii) इस कार्यक्रम के तहत मत्स्य संग्रहण से लेकर मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन/पुनर्स्थापन तक सभी आकड़े पारदर्शी तरीके से संधारित किया जाएगा।

ix) इस कार्य के लिए कॉलेज ऑफ फिशरिज, ढ़ोली द्वारा Dedicated Hatchery का प्रयोग कर मानक के अनुसार देशी (Native) मत्स्य बीज का उत्पादन एवं संवर्द्धन कर कार्यक्रम के अनुसार संचयन किया जाएगा।

x) रिवर रैंचिंग कार्यक्रम (River Ranching Program) हेतु कॉलेज ऑफ फिशरिज, ढ़ोली (Implementing Agency) को आवश्यक सहयोग एवं अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा।

xi) उक्त समिति में कॉलेज ऑफ फिशरिज, ढ़ोली के नामित प्रतिनिधि, निदेशालय स्तर से नामित पदाधिकारी, मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, मीठापुर से नामित पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं सारण सदस्य होंगे।

6. **"प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना"** के तहत भारत सरकार अपने पत्र संख्या NFDB/PMMSY/RR/Bihar/2020-21/1173, दिनांक 26.03.2021 के द्वारा राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में 60.75 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से कुल ₹ 121.50 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमे से प्रथम किस्त के रूप में ₹ 60.75 लाख (साठ लाख पचहत्तर हजार) केन्द्रांश राशि के रूप में विमुक्त है।

7. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)22/2021 के पृष्ठ–12/टि० दिनांक–09.07.2021

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संखया–6 एस०एस०(6)22/2021 के पृष्ठ–15/टि० तथा डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–22.07.2021.

9. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

28/7/2021

(केशवेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/2021

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र तिरहुत / पटना एवं सारण तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना / मुजफ्फरपुर / वैशाली एवं छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित अवर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कमरा संख्या–221, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)22 / 2021–1993 / पटना–15, दिनांक–02 / 8 / 2021.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/2021

सरकार के विशेष सचिव